मुन्तकिली प्रकरण सं0 59/2015 अनवानी 1–हरदीपसिंह पुत्र मलकीत सिंह 2–रविन्द्रसिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख नि0 4 जैड प्रथम तह0 गंगानगर बनाम 1–रणजीतसिंह पुत्र निरंजन सिंह 2–मुखत्यार सिंह पुत्र करतारसिंह 3–अनूप कौर पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख नि. 4 जैड प्रथम तह0 गंगानगर 4–विजयपाल सिंह भूल्लर 5–अमरीन भूल्लर 6–तहसीलदार श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.08.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है। अप्रार्थी रणजीत सिंह के अभिभाषक श्री मोहनलाल छाबड़ा उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी रणजीत सिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर में लंबित अपील संख्या 40/2015 अनवानी हरदीप सिंह आदि बनाम रणजीत सिंह वगैरह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र पेश किया है। चूंकि तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर में लंबित अपील संख्या 40/2015 अनवानी हरदीप सिंह आदि बनाम रणजीत सिंह वगैरह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र पेश किया है। चूंकि तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और व कार्य मुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1494
23-8-16

आदेश आज दिनांक 03.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर